कार्रवाई के लिए एक अपील

भारत की गैर–सरकारी संस्थाओं और स्वैच्छिक क्षेत्र पर प्रत्यक्ष कर नियमावली विधेयक 2009 का प्रभाव

स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ अपने सबसे नए और एकतरफा प्रयोग में वित्त मंत्रालय 12 अगस्त, 2009 को 'प्रत्यक्ष कर नियमावली विधेयक' ले कर आया। भारत के सभी स्वैच्छिक संगठनों पर लागू होने वाले इन नियमावली पर पहली निगाह एक बहुत ही निराशाजनक भविष्य की ओर संकेत करती है। एक ओर सरकार 'आम आदमी' के लिए एक अच्छे जीवन का वायदा करती है और दूसरी ओर फसलों के तबाह होने व आर्थिक मंदी के कारण देश एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सीमांत वर्गों और गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार के साथ मिल कर काम कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नए प्रत्यक्ष कर नियमावली विधेयक 2009 में प्रस्तावित बदलावों की प्राथमिक सूची के स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए कई प्रतिकूल निहितार्थ निकलते हैं और अंततः लगता है कि यह उनकी वित्तीय सततता और उनके अस्तित्व को कमजोर करेगा।

क्षेत्र की एक स्वतंत्र आवाज़ आवाज़ होने के कारण वाणी ने इस चिंता को सरकार, नीति निर्माताओं, मीडिया और लोगों के सामने रखने का फैसला किया। नीचे दिए गए बिंदु प्रसिद्ध कर परामर्शदाताओं की रायों पर आधारित हैं। हम यह अपील इस विधेयक के निहितार्थों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की खातिर संप्रेषित कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2009 है।

स्वेच्छिक क्षेत्र के क्रियाकलापों को बाधित करने वाले कुछ प्रतिकूल बदलावों में प्रतिफलित हो सकने वाले कुछ प्राथमिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. यह नियमावली (कोड) फाउंडेशनों से लेकर, गैर–सरकारी संगठनों, शोध व पैरवी संगठनों, गैर–सराकरी हस्पतालों जैसी सभी गैर–लाभार्थी ईकाइयों पर लागू होता है। आप चाहे दूरदराज़ गांवों में सीमांत लोगों को स्वास्थ्य या आजीविका संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हों, या शोध आधारित पैरवी, जागरुकता के लिए लोकप्रिय प्रकाशन प्रकाशित कर रहे हों, या सामुदायिक पहलों को सततता प्रदान करने के लिए नाममात्र का उपयोगकर्ता शुल्क ले रहे हों। दुर्भाग्यवश यह कोड बड़े सार्वजनिक न्यासों (बंदरगाहों, धार्मिक न्यासों, पब्लिक स्कूलों, कारपोरेट एवं हस्पतालों) तथा छोटे संगठनों को एक ही श्रेणी में रखता है।
2. गैर–सरकारी संगठन 15 प्रतिशत कर अदा किए बिना एक वर्ष की न खर्च की गई राशि का उपयोग अगले वर्ष में नहीं कर पाएंगे। यही बात बहुवर्षीय अनुदानों पर भी लागू होती है। वे दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए धनराशियां न रख पाएंगे, न संचित कर पाएंगे। शुद्ध नकद आधार पर आय व व्यय का हिसाब होगा। कई बार हमको साल के किसी भी महीने में, सरकार या विदेशी सहयोगी संस्थाओं से धन प्रदान होता है जो उसे साल के वित्त वर्ष से आगे तक जाता है। कई बार हमको स्थानीय स्थिति की वजह से, खास कर जब हम सरकार के साथ काम करते हैं, अपने कार्यक्रम स्थानीय चुनावों या अन्य कारणों से आगे बढ़ाने पड़ते हैं। इस नई नियमावली के अनुसार उसमें अब कर लगेगा। यह न सिर्फ गरीबी उन्मूलन में लगा हमारा बजट कम कर देंगे बल्कि संस्थाओं को जो पहले से ही फंड की कमी की मार झेल रहे हैं उन्हें और तंगी में ला देगी।
3. यह भारत में सक्रिय सभी दानदाता संस्थाओं के लिए कार्य और मुश्किल में कर देगी। कई दानदाता संस्थाएं एक से ज्यादा वर्षों की सहायता एक बार में देना पसंद करती हैं ताकि काम न रुके। परन्तु अब इस प्रकार से प्रदान की जाने वाली सहायता चाहे सरकारी हो या गैर–सरकारी उन पर कर लगेगा।
4. हालांकि एक वर्ष की शेष बची राशि पर कर लगेगा, लेकिन गैर–सरकारी संगठनों को पिछले वर्ष के घाटे को अगले वर्ष के हिसाब में लाना और उस वर्ष की अतिरिक्त राशि से पूरा करना मुश्किल होगा। इस तरह अगर आप किसी परियोजना के लिए उधार ली गई राशि खर्च करते हैं, तब अगले वर्ष अनुदान मिलने पर आप को कर अदा करना होगा।
5. "समाज सेवी (चेरिटी) प्रयोजन" की अवधारणा की जगह "स्वीकृत कल्याणकारी गतिविधियों" की धारणा ले आई गई है। इससे पद्धतिगत नवाचार और लचीलापन कम हो सकता है क्योंकि "स्वीकृत" को परिभाषित न करके उसे अधर में छोड़ दिया गया है। हम यहां यह बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वयंसेवी संस्थाओं के जमीनी–स्तर नवाचार और लचीलेपन का ही नतीजा है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 'आशा' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का सोशल आडिट, योजना आयोग द्वारा चलाई जाने वाली जिला स्तरीय विकेन्द्रीय योजना निर्माण, सूचना का अधिकार, पंचायतो में दलितों तथा महिलाओं का सशक्तिकरण, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि। हमें यह डर है कि इस नियमावली के बाद हमें हर साल सरकारी अधिकारियों को यह समझाना पड़ेगा कि हमारे नवाचार और लचीले कार्यक्रम क्यों और क्या हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कर के डर से संस्थाएं, नवाचार और लचीले कार्यक्रम छोड़ दें।
6. पिछले कुछ वर्षों से कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं स्थानीय योगदान जुटाने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाती तथा बेचती हैं जिनके द्वारा सामाजिक संदेश भी भेजे जाते हैं या सामुदायिक पहलों को सत्ता प्रदान करने के लिए उपयोगिता शुल्क लेती है। अब ऐसा लगता है कि यह सारी राशि कर के अधीन होगी। 35एसी (दानदाताओं के लिए 100 प्रतिशत कटौती) के तहत स्वीकृति को समाप्त किया जा रहा है। गैर–सरकारी संगठन अपने दानदाताओं को केवल अधिकतम 50 प्रतिशत की कटौती दे पाएंगे।

आप कैसे इस आंदोलन में हिस्सेदार हो सकते हैं?

- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि यह कोड किस तरह आपके संगठन को प्रभावित करेगा, अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से चर्चा करें। एक नोट तैयार कर इसे वित्त मंत्री को भेजें।
- नोट की एक प्रति वाणी को भेजें (info@vaniindia.com)। हम आप की अपीलों को संकलित कर उन्हें वित्त मंत्री को भेजना चाहते हैं।
- कर नियमावली विधेयक 2009 के प्रारुप के बारे में जागरुकता अभियान शुरु करें और अपने हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर एक बहस विकसित करें।
- अपने प्रतिनिधि अपने स्थानीय सांसदों के पास भेजें। उनसे संसद में सवाल उठाने का आग्रह करें।
- इस मुद्दे को स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए सघन मीडिया अभियान चलाएं।
- इन सूचनाओं का साझा अपने साथी संगठनों/ सदस्यों के साथ करें ताकि वे स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। उनसे इस अभियान का अंग बनने का आग्रह करें।
- संगठनों को निम्न लिंक्स पर वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पर इस नियमावली के अपने संगठन पर प्रभाव पर अपनी टिप्पणियां भेजनी चाहिएं http://finmin.nic.in/DTCode/index.html; http://finmin.nic.in/DTCode/query.asap; आप इस पते पर सीधे भी लिख सकते हैं: श्री प्रणब मुखर्जी, सम्माननीय वित्त मंत्री, कमरा नं. 132 सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001, फोन: 011–23092810; 23092510, फैक्स: 011–23093289, ई–मेल: pkm@sansad.nic.in

वॉलेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी), बी बी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048
फोन: 011–41435536, 29228127, फैक्स: 011–41435535, ईमेल: ***info!vaniindia.org,*** *वैबसाइट:* ***www.vaniindia.org***